For Kind information
With Regards


रविवासरीय

# हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

मुंबई में देश की पहली मोनो रेल सेवा की शुरुआत पेज 20 | हरीश रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमं

रविवार, 02 फरवरी, 2014, पटना, माघ शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम सम्वत, 2070

www.livehindustan.com


### खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला बिहार पहला राज्य, फिलहाल चार पंचायतों में लागू

# बिहार में गरीबों को आज से मिलेगा सस्ता अनाज

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

गरीबों को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के 'संवाद' में आयोजत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर चार जिलों में इस योजना की शुरुआत की। कंपकंपाती ठंड में डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पटना की बरामा, नालंदा की बरहा, गोपालगंज की सिसवां और पूर्णिया की थुबरा पंचायत के लिए अनाज से लदे ट्रक वहां की पीडीएस दुकानों के लिए रवाना हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजना है। इस पर राज्य सरकार का भी 800 करोड़ सालाना खर्च होगा। इनमें लगभग 400 करोड़ डीलरों के कमीशन और इतनी ही राशि उनके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होगी। योजना का लाभ सही लोगों को मिले इसके लिए कई स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। पीडीएस से अलग योजना की खासियत है कि इसमें परिवार की जगह व्यक्ति को इकाई बनाया गया है। इसके तहत हर व्यक्ति को प्रतिमाह पांच किलो अनाज मिलेगा जिसमें तीन किलो चावल व दो किलो गेहूं शामिल है। चावल तीन व गेहूं दो रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा।

पूरे राज्य के लिए यह योजना इसी माह यानी फरवरी से लागू कर दी जाएगी। लाभुक परिवार जिला शिकायत निवारण अधिकारी को खाद्यान्न की अनापूर्ति होने की शिकायत 30 दिनों के अंदर करेंगे। मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर कर दिया जायेगा।

● सभी जरूरतमंदो तक पहुंचेगा लाभ : पेज -13

## केंद्र और राज्य की साझा योजना

**03** रुपए प्रति किलो चावल

**02** रुपए प्रति किलो गेहूं

**05** किलो अनाज हर माह मिलेगा

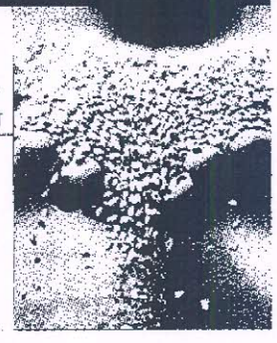



- मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चार जिलों की एक-एक पंचायत में की शुरुआत
- पटना की बरामा, नालंदा की बरहा, गोपालगंज की सिसवां व पूर्णिया की थुबरा पंचायत के लिए भेजे गए अनाज से लदे ट्रक

### योजना से वंचित लोगों के लिए कॉल सेंटर

योजना से वंचित रहने पर लोग इसकी शिकायत भी कर सकेंगे। इसके लिए सिटिजन ग्रिवांस काल सेंटर काम करेगा। लोग अपनी शिकायत इसके टॉल फ्री नंबर 18003456194 पर दर्ज करा सकते हैं।

## योजना की खास बातें

**4.5** लाख टन अनाज प्रतिमाह राज्य को मिलेगा सस्ती दर पर

**8.73** करोड़ की आबादी इस कानून से होगी लाभान्वित

**800** करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे राज्य सरकार के

**45** हजार राशन दुकानों को अनाज वितरण का जिम्मा

- सोशल इकोनॉमिक टॉस्क फोर्स सर्वे के आधार पर योजना को लागू करने वाला बिहार पहला राज्य
- अंत्योदय परिवार को 35 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं होगा
- नई राशन प्रणाली के तहत 7.83 करोड़ ग्रामीण और 87.42 लाख शहरी आबादी होगी लाभान्वित
- खाद्यान्न की अनापूर्ति होने की शिकायत 30 दिनों के अंदर करें। मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर होगा।